न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः—249/17 (आरसीएमएस नं. 2017/00249)

1. रामधन,
2. मांगीलाल,
3. घासीलाल,
4. कानाराम,
5. पांचूराम, पुत्रान लक्ष्मण, जाति मीना निवासीयान ग्राम पड़ासोली, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

——अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्रीमती नाथी देवी पुत्री शंकर पत्नी गोपीराम, जाति मीना, निवासी ग्राम खींवास, पोस्ट नेवर, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
2. ग्राम पंचायत पड़ासोली जरिये सरपंच तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

——रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 29.04.2019

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बस्सी जिला जयपुर के आदेश दिनांक 19.06.2017 (प्रकरण संख्या 17/2011) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि ग्राम पड़ासोली तहसील बस्सी स्थित भूमि खसरा नम्बर 44 रकबा 9 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 44क रकबा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 44ख रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 44ग रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 44घ रकबा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 44ड. रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 44च रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 145 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 145क रकबा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 145ख रकबा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 145ग रकबा रकबा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 145घ रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 145ड़ रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा कुल किता 13 कुल रकबा 31 बीघा 8 बिस्वा के खातेदार काश्तकार शंकर पुत्र श्योदान 1/3 भाग व रघूनाथ पुत्र मुंशीराम 2/3 भाग थे इस प्रकरण में शंकर का 1/3 भाग विवादित है, शंकर पुत्र श्योदान जाति से मीना है, उसके कोई पुरूष सन्तान नही हुई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि चूँकि शंकर पुत्र श्योदान जाति मीना अर्थात अनुसूचित जनजाति का होने के कारण उन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नही होता है, मीना जाति में स्त्रीयों को पिता अथवा पति की सम्पत्ति में उनके मरने के पश्चात् कोई हित व अधिकार प्राप्त नही होते है, इस कारण शंकर पत्र श्योदान की मृत्यु हो जाने पर उसकी

संख्या 173 दिनांक 07.06.1989 को मजमेआम में ग्राम पंचायत द्वारा खोला गया, लक्ष्मण की मृत्यु हो चुकी है, वादग्रस्त सम्पत्ति जरिये नामान्तरकरण संख्या 220 दिनांक 06.08.1997 के द्वारा वर्तमान में अपीलार्थी के नाम अंकित है और वह बतौर खातेदार इस भूमि का उपयोग उपभोग कर रहे है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने भूमाफिया के चुंगल में फंसकर नामान्तरकरण संख्या 173 दिनांक 07.06.1989 के विरूद्ध एक अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी के यहॉ लगभग 22 वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाने के बाद दिनांक 17.06.2011 को पेश की, मौजूदा अपीलार्थीगण ने धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का विस्तृत उत्तर पेश किया है, पत्रावली मूल नामान्तरकरण तलब करने बाबत नियत थी, उपखण्ड अधिकारी बस्सी ने बिना अपीलान्ट को सूचित किये पत्रावली को ''न्याय आपके द्वार कैम्प'' पड़ासोली में दिनांक 19.06.2017 को रख ली एवं दिनांक 19.06.2017 को बिना अपीलान्ट को सुने एवं सुनवाई का अवसर दिये तथा बिना मूल नामान्तरकरण मंगाये ही दिनांक 19.06.2017 को अपील में निर्णय पारित करते हुय नामान्तरकरण संख्या 173 दिनांक 07.06.1989 को निरस्त कर दिया एवं प्रकरण को तहसीलदार बस्सी को प्रतिप्रेषित कर दिया जो अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि मीना जाति में पुत्री एवं पत्नी को मृतक पिता व पति की सम्पत्ति में कोई हित व अधिकार प्राप्त नही होते है, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 2 के अनुसार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम अनुसूचित जनजाति पर लागू नही होता है और उसमें जाति प्रथा व पूर्व प्रचलित कानून के अनुसार उत्तराधिकार का निर्धारण होता है, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रचलन से पूर्व कानून के अनुसार पुत्रियों को अपने पिता की सम्पत्ति में कोई अधिकार नही था, इस सुस्थापित सिद्धान्त पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ने विचार न कर सरसरी तौर पर प्रकरण को निर्णित करके रेस्पोडेन्ट को लाभ पहुॅचाया है वह पूर्ण रूप से विधि विरूद्ध है और क्षेत्राधिकार के बाहर है। उन्होने कथन किया है कि उपखण्ड अधिकारी बस्सी का अपने निर्णय में यह मानना भी विधि विरूद्ध है कि प्रभाव शून्य आदेश को किसी भी समय चुनौती दी जा सकती है जबकि मियाद अधिनियम में इस प्रकार के आदेश के लिये कोई विशेष प्रावधान नही है, नामान्तरकरण संख्या 173 दिनांक 07.06.1989 को एवेनेशू वॉइड माने जाने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा क्षेत्राधिकार का गलत इस्तेमाल किया गया है, इसलिये भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.06.2017 निरस्तनीय है।

उनके द्वारा पारित निर्णय पूर्ण रूप से एकतरफा आरबीट्रेटरी एण्ड कॉन्ट्रेटरी टू लॉ है और इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बस्सी जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.06.2017 को निरस्त फरमाया जावें एवं नामान्तरकरण संख्या 173 दिनांक 07.06.1989 यथावत कायम रखने की आज्ञा प्रदान की जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 नाथीदेवी शंकर पुत्र श्योदान की एकमात्र जायन्दा पुत्री है तथा शंकर की जायज वारिस व उत्तराधिकारी है। उन्होने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता का देहावसान 25 वर्ष पूर्व हो गया तथा उनकी माता भोली देवी का देहावसान भी शंकर की जीवनकाल में ही हो चुका था तथा वह अपने पिता के जीवनकाल से ही अपने पिता की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि की काश्त में सहायता करती चली आ रही है तथा अपने पिता की मृत्यु के पश्चात् तन्हो अपने पिता की खातेदारी की भूमि पर काबिज रहकर अपनी देखरेख में काश्त करवाती चली आ रही है। उन्होने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपने पिता की विरासत का नामान्तरकरण खोलने के लिऐ सम्बन्धित पटवारी व तहसीलदार बस्सी को निवेदन किया व कार्यवाही की, पटवारी हल्का ने उन्हे पूर्ण रूप से आश्वस्त कर दिया कि उसके नाम विरासत दर्ज करके दी जावेगी तथा वह पटवारी हल्का द्वारा दिये गये आवश्वासन पर भरोसा कर अपने पिता से विरासत में प्राप्त भूमि पर बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज रह उपयोग उपभोग करती चली आ रही है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट के पिता ने अपने जीनकाल में कभी किसी को गोद नही लिया न किसी के हक में कोई वसीयत की, परन्तु अपीलान्ट के पूर्वज लक्ष्मण ने राजस्व कर्मचारियों व तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत से सांठ–गांठ कर गुपचुप में शकर की मृत्यु के बाद नामान्तरकरण अपने नाम खुलवा लिया जिसका कोई इल्म रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को नही होने दिया, न ही ग्राम पंचायत ने शंकर की विरासत का नामान्तरकरण तस्दीक करते समय न तो वैध वारिसान के बारे में जॉच की, न ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को कोई सूचना व सुनवाई का कोई अवसर ही दिया गया जबकि शंकर की विरासत रेस्पोडेन्ट संख्या 1 जायज वारिस व उत्तराधिकारी के नाम तस्दीक किया जाना वाहिये था। उन्होने आगे कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 दिनांक 29.05.2011 को अपने हित व अधिकार की भूमि की आगामी फसल हेतु जुताई कराने गई तो अपीलान्ट व उसके परिवार के सदस्यों ने जुताई कराने से इन्कार कर दिया तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का आराजी से कोई सम्बन्ध व सरोकार नही होना तथा

नामान्तरकरण की सर्वप्रथम जानकारी हुई तथा रेस्पोडेन्ट ने कानूनी सलाह लेकर अपने हित व अधिकार की भूमि के अवैध तस्दीक हुए नामान्तरकरण को निरस्त करवाने हेतु जानकारी से अन्दर मियाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत सुनवाई कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की गलती नही की गई है। अतः अपील अपील खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि ग्राम पंचायत का किसी व्यक्ति को उत्तराधिकारी घोषित करने अथवा बनाने को कोई क्षेत्राधिकार नही था, न ही लक्ष्मण मृतक शंकर का वारिस एवं उत्तराधिकारी था परन्तु ग्राम पंचायत ने वैध वारिस को उसके जायज हित व अधिकार से वंचित करने के उद्देश्य से अवैध रूप से लक्ष्मण को वारिस करार देने व उसके नाम खातेदारी दर्ज करने की कार्यवाही पूर्णतया अवैध एवं प्रभावशून्य की है तथा उक्त कार्यवाही क्षेत्रधिकार से परे होने के कारण सरसरी तौर पर ही नामान्तरकरण निरस्त किये जाने योग्य है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अपीलान्ट की अपील कोई फोर्स नही रखती है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के संलग्न नामान्तरकरण संख्या 173 दिनांक 07.06.1989 के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादग्रस्त आराजी शंकर पुत्र श्योदान के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा हस्तगत प्रकरण में मूख्य रूप से शंकर पुत्र श्योदान के नाम दर्ज आराजी की विरासत का विवाद है जबकि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील में अंकित सजरानुसार रेस्पाडेन्ट संख्या 1 नाथी देवी नृतक शंकर की एकमात्र पुत्री है जिससे यहॉ यह स्पष्ट हो जाता है कि अपीलान्ट को इस बात से इन्कार नही है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादग्रस्त आराजी के खातेदार शंकर की पुत्री है तथा ग्राम पंचायत द्वारा मृतक शंकर के वारिसान की बिना जॉच किये ही नामान्तरकरण संख्या 173 तस्दीक किया गया है, जो विधि सम्मत नही है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी जाहिर होता है कि अपीलान्ट द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर बस्सी के समक्ष एक दावा घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया हुआ है जिसमें पक्षकारान के हक, हकूक, अधिकार तय होने अभी बाकी है जबकि नामान्तरकरण की कार्यवाही तो एक फिस्कल कार्यवाही है जिससे किसी भी पक्षकारान के कोई हक, हकूक, अधिकार तय नही होते है एवं अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19.06.2017 द्वारा प्रकरण मृतक शंकर पुत्र श्योदान के विधिक वारिसान के सम्बन्ध में विस्तृत जॉच कर विधि सम्मत निर्णय नये सिरे से पारित करने हेतु तहसीलदार बस्सी को रिमाण्ड ही किया गया है ऐसे में अपीलान्ट तहसीलदार बस्सी के समक्ष अपना पक्ष रखकर चाराजाही कर

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.06.2017 को यथावत रखा जाता है।

(के0सी0वर्मा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 29.04.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर।